

22.12.16

पत्रावली पेश। और सादल वकील स्थापित।
मिलल वान्ते वदम दिमोवक 10.1.17 को
पेश हो।

तहसीलदार, मेड़ता
(नागौर-राजस्थान)

10.1.17

पत्रावली पेश हुई। और सादल लालाराम स्थापित।
सादल के तथ्य निरूपण में मान प्रकार है कि पत्रावली लालाराम
हस्ताक्षरों में उक्त मजिस्ट्रेट मेड़ता ने एक सादल पत्रिका
निर्यात पेश की है कि मीरा बीजावत की ठाणी के
खण्ड नं० 263 खण्ड 0.02 है और पुपकिस शान्त
पर लालाराम पुत्रा मीरनराम जारी जाट में पञ्चम
मजिस्ट्रेट के साथ सतिदुपल किया है।
इस पर और सादल के विवेक द्वारा 31.12.16 के
तारीख प्रकार वर्त किया जाकर मोटिफ जारी किया गया।
और सादल तारीख पेशी पर स्थापित इसा और जवाब
पेश किया। जो शामिल मिलल है।


प्रीति द्वारा 16 AT AT के तहत शांता प्रतिबंधित भूमि की
खेती से होने से गैर सामल को आवंटित / नियंत्रण नहीं किया
जा सकता। शांता (भारव पानि) प्रयोग से सात है जिसके कारण
सुपारी को भुतनामा भूमि पर से हटाया जाना अनिवार्य है।

अतः गैर सामल को भुतनामा भूमि पर अतिदुर्गम घोषित
किया जाकर भूमि से भूमि रूप से बेदेयल किये जाने
के आदेश किये जाते हैं एवं भुतनामा भूमि पर अतिदुर्गम
होने लगान 0.16 का 50 गुण से रूपसे 81 - अर्धदण्ड
भारिपिय किया जाता है।

प्रत्यारी हल्का व तीक्ष्ण सुनिष्ठ वी मिलल कैमल
गुमार होकर वायिले फलर है।
निर्गत नरे इपलाम पुनामा गया।

वर्ष 2016-17 वर्ष 8
श्र. 4 केवल सं. 3 पर दर्ज की


तहसील राजस्थान लेखाकार मेडल


तहसीलदार मेड़ता
(नागौर-राजस्थान)